रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112023-249936
CG-DL-E-07112023-249936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 2023/कार्तिक 15, 1945
No. 637]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 2023/KARTIKA 15, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 817(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) तथा सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय में उप निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) तथा सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) के पदो पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) तथा सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:-** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता –** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए संविदा की है,

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप निरीक्षक (अनुसचिवीय)।	2156* (2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रुपए)।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: ऐसे सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने चिकित्सा श्रेणी शेप-1 के अध्यधीन रहते हुए, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5, (29200-92300 रुपए) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट प्रोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (29200-92300 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक

अर्हताएं हो, अर्थात : -

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

(ii) अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर काम करने के अनुभव के साथ हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान, शासकीय या अनुसचिवीय कार्य करने का अनुभव, सेवा और वित्तीय तथा अन्य संबंधित मामलों पर सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -अध्यक्ष; 2. दो कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. दो कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निरीक्षक (अनुसचिवीय)।	931* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रुपए)।	चयन ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)
प्रोन्नति:

ऐसे उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने चिकित्सा श्रेणी शेप-1 के अध्यधीन रहते हुए, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6, (35400-112400 रुपए) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट प्रोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (35400-112400 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हो, अर्थात : -

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

(ii) अभ्यर्थी को कंप्यूटर पर काम करने के अनुभव के साथ हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान, शासकीय या

अनुसचिवीय कार्य करने का अनुभव, सेवा और वित्तीय तथा अन्य संबंधित मामलों पर सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. दो कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय)।	4* (2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100/- रुपए)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)
ऐसे निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7,(44900-142400 रुपए) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. दो कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. आर.नौ.1/2020-मंत्रा.-डीए.-3]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक- II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2023

G.S.R. 817(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), and in supersession of the Central Reserve Police Force Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial) Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial), in the Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Reserve Police Force, Sub-Inspector (Ministerial), Inspector (Ministerial) and Subedar Major (Ministerial), Group-‘B’ Posts, Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application -**These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification .-** No person, –

(a)who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Sub-Inspector (Ministerial).	2156* (2023) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400).	Selection.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Assistant Sub-Inspector (Ministerial) with six years of regular service in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) subject to medical category SHAPE-1 and shall have undergone promotional course or training as specified by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force-Chairperson;	Not applicable.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications,- (i) 12th class pass from a recognized Board; (ii) the candidate shall have knowledge of English or Hindi typing with working experience on computer, experience of to deal with official or ministerial work, knowledge of Government rules and regulations on service and financial and other related matters. **Note 1 :**The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department or the Central Government **shall ordinarily not exceed three years.** **Note 3 :**The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	2. Two Commandants, Central Reserve Police Force- Members. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force-Chairperson; 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force- Members.	

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
2.Inspector (Ministerial).	931* (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Sub-Inspector (Ministerial) with five years regular service in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) subject to medical category SHAPE-1 and shall have undergone promotional course or training as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications,- (i) 12th class pass from a recognised Board; (ii) the candidates shall have knowledge of English or Hindi typing with working	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- **1**. Deputy Inspector General of Police Central Reserve Police Force – Chairperson; **2.** Two Commandants, Central Reserve Police Force – Members.	Not applicable.

			experience on computer, experience of to deal with official or ministerial work, knowledge of Government rules and regulations on service and financial and other related matters. **Note 1:**The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Subedar Major (Ministerial).	4* (2023) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs.47600 - 151100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Inspector (Ministerial) with two years regular service in the level-7 in the pay matrix (Rs. 44900 -142400). **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Inspector General of Police Central Reserve Police Force – Chairperson;	Not applicable.

			eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Two Commandants, Central Reserve Police Force – Members.	

[F. No. R.IX.1/2020-Min-DA-3]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.07 21:00:16 +05'30'